Centre For e-Governance U.P.
1st Floor, Uptron Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
सेण्टर फॉर ई – गवर्नेन्स, उ. प्र. लखनऊ
प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ –226 010
फोन / फैक्स : 0522–2304706, ई–मेल : ceglko.up@gmail.com

निविदा प्रपत्र

किराये पर टैक्सी लगाने हेतु निविदा

निविदा संख्याः : **CeG/G/06/ IV / 944 /2017**

दिनांक : 21.02.2017

Critical Dates

S.No.	Particulars	Date	Time
1.	Bid Submission Ends on	23-03-2017	14.00 बजे
2.	Bid Opening	23-03-2017	16.00 बजे

1. निविदा शुल्क : रू0 1,500.00 (**Non-Refundable**)
2. धरोहर **(EMD)** धनराशि : रू0 15,000.00

निविदा खोलने का स्थान : सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0, अपट्रॉन भवन, प्रथम तल, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ–226010

सुरेन्द्र विक्रम
राज्य समन्वयक

सेण्टर फार ई–गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश

प्रथम तल, अपट्रान बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज,

गोमती नगर, लखनऊ–226010

फोन / फैक्स नं0– (0522) 2304706

वेबसाइट : **www.ceg.up.nic.in** ई–मेल : **ceglko.up@gmail.com**

किराए पर टैक्सी लगाने हेतु निविदा सूचना

संख्या–सी.ई.जी. / जी / 06 / IV / 944 / 2017 दिनांकः 21 फरवरी, 2017

सी.ई.जी. कार्यालय में एक वर्ष के लिए टाटा इण्डिगो, होण्डा अमेज अथवा समकक्ष मॉडल की लगभग 04 ए.सी. टैक्सी मासिक किराया पर उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत तथा अनुभवी ट्रैवल एजेन्सियों से निविदायें दिनांक 23.03.2017 तक आमंत्रित की जाती हैं। **इच्छुक ट्रैवल एजेन्सी सी.ई.जी. की वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर सकती हैं,** जिसके लिये निविदा शुल्क रू0 1500 / – निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा। निविदायें दिनांक 23.03.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक सी.ई.जी. कार्यालय में प्राप्त की जायेंगी तथा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेंगी। निविदा के साथ निविदा शुल्क रू0 1500 / – तथा धरोहर धनराशि रू0 15000 / – बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / पे–आर्डर के रूप में सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 के पक्ष में संलग्न किया जाना अनिवार्य है। सी.ई.जी. को बिना कारण बताये प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

सुरेन्द्र विक्रम

राज्य समन्वयक

निविदा की शर्तें

1. निविदा का तकनीकी एवं वित्तीय भाव पत्र अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द कर एक अन्य लिफाफे में रख कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तकनीकी एवं वित्तीय भाव पत्र लिफाफा पर निविदा सूचना सं0/दिनांक तथा निविदा खोले जाने की तिथि अंकित किया जाना अनिवार्य है। तकनीकी एवं वित्तीय भाव पत्र एक साथ एक ही लिफाफा में पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. तकनीकी भाव पत्र में वांछित सूचनाऐं, अभिलेख आदि निविदा के अनुसार योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय भाव पत्र खोला जायेगा।
3. यह निविदा सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 में एक वर्ष के लिये इन्डिगो, होण्डा अमेज अथवा समकक्ष मॉडल की लगभग 04 (चार) ए.सी. टैक्सी मासिक दर के आधार पर आपूर्ति/चालन के लिये है। टैक्सी की संख्या को बिना कारण बताये बढाने या घटाने का अधिकार सी.ई.जी. को होगा।
4. ट्रैवेल एजेन्सी मान्यता प्राप्त होनी चाहिये तथा टूर एवं ट्रैवल व्यवसाय में, राजकीय निगम/विभाग, कारपोरेट सेक्टर में टैक्सी उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। सर्विस टैक्स, इन्कम टैक्स में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
5. उपलब्ध करायी जाने वाली टैक्सी का आर0टी0ओ0, लखनऊ से कामर्शियल टैक्सी का परमिट होना अनिवार्य है। ट्रैवेल एजेन्सी द्वारा टैक्सी परिवहन सम्बन्धी विद्यमान नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. इन्डिगो और होण्डा अमेज अथवा समकक्ष मॉडल की टैक्सी का निर्माण वर्ष जनवरी, 2014 के बाद का होना चाहिए और टैक्सी तकनीकी एवं भौतिक रूप से अच्छी दशा में तथा कार्यालय उपयोगार्थ सुसज्जित होनी चाहिए।
7. निविदा में टैक्सी–चालन हेतु अधिकतम किमी0 स्लैब में दर आमंत्रित की गयी है। सी.ई.जी. को यह अधिकार होगा कि वह स्लैब में प्राप्त दर में से किसी एक या सभी दर को स्वीकार कर ले तथा ट्रैवल एजेन्सी को तद्नुसार अनुबन्ध करना होगा।
8. निविदादाता फर्म को रू0 15,000/– की अर्नेस्ट मनी (EMD) बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा पे–आर्डर, जो सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अर्नेस्ट मनी (धरोहर राशि) संलग्न नहीं पाये जाने पर निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. सफल निविदादाता के पक्ष में कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर निविदादाता फर्म को निविदा में प्रस्तुत दर के अनुसार देय अनुमानित वार्षिक धनराशि के 05 प्रतिशत मूल्य की जमानत धनराशि (Performance Security) प्रस्तुत करनी होगी, जो राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक द्वारा सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 के पक्ष में बैंक गारन्टी, सावधि जमा पत्र के रूप में निर्गत होनी चाहिए। जमानत धनराशि (Performance Security) प्रस्तुत करते समय फर्म द्वारा अनुबन्ध निष्पादन हेतु रू. 100.00 (एक सौ) का नान्–जुडीशियल स्टाम्प पेपर भी प्रस्तुत किया जायेगा।
10. अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली टैक्सी से सम्बन्धित वैध–पंजीयन प्रमाण पत्र (टैक्सी के रूप में पंजीयन), बीमा प्रमाण पत्र, वाहन फिटनेश प्रमाण पत्र एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। अनुबन्ध के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन सम्बन्धी उपरोक्त वैध प्रपत्र की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में फर्म को निर्गत कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि अथवा जमानत राशि, जैसा भी लागू हो, जब्त कर ली जायेगी। अनुबन्धित टैक्सी से सम्बन्धित उपरोक्त प्रपत्र वाहन चालक के

पास सदैव उपलब्ध होना चाहिए जिससे वह आवश्यकतानुसार प्रवर्तन अधिकारियों या चेकिंग स्टाफ को उपलब्ध करा सके।

11. टैक्सी एक माह में अधिकतम निर्धारित किमी0 तक चलानी होगी। टैक्सी–चालन हेतु योग्य चालक की सेवाएं भी ट्रेवल एजेन्सी द्वारा प्रदान की जायेगी। यदि टैक्सी एक माह में निर्धारित कि0मी0 से अधिक चलती है, तो अतिरिक्त किमी0 का भुगतान प्रति किमी0 की दर से किया जायेगा।

12. चालक का वेतन, टैक्सी–चालन हेतु ईंधन, मरम्मत/सर्विसिंग, बीमा एवं अन्य सभी प्रकार के Incidental Charges का व्यय एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि में टैक्सी को पूर्णतः चालू हालत एवं अच्छी दशा में बनाये रखने (डंपदजंपद करनेद्ध का दायित्व ट्रेवल एजेन्सी का होगा।

13. चालक को मोबाइल की सुविधा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करानी होगी, जिसका व्यय एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। टैक्सी पर तैनात किये जाने वाले चालक के नाम वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो टैक्सी चालन के समय चालक के पास होना अनिवार्य है। चालक को ट्रैफिक नियमों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पूर्णतया अनुपालन करने एवं लॉगबुक सदैव रखने, यात्रा दूरी आदि का उल्लेख करने का स्पष्ट निर्देश ट्रैवल एजेन्सी द्वारा चालक को दिया जायेगा।

14. थ्नमl, Lubricant & Car Perfume एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा। टोल टैक्स, पार्किग चार्जेज की प्रतिपूर्ति, बिल/पर्चा उपलब्ध कराने पर किया जायेगा।

15. टैक्सी खराब होने की दशा में ट्रैवल एजेन्सी को दूसरी टैक्सी तुरन्त उपलब्ध करानी होगा। यदि किन्ही कारणवश टैक्सी तुरन्त उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो सी.ई.जी. द्वारा अन्यत्र से टैक्सी की व्यवस्था कर ली जायेगी, जिसका पूरा खर्चा एजेन्सी को वहन करना होगा तथा जिसकी कटौती उनके देयकों से की जायेगी। इसके अलावा टैक्सी की अनुपलब्धता की दशा में अनुपलब्धता के दिनों के व्यवधान के लिये रू. 2000/– (रू0 दो हजार मात्र) प्रतिदिन की कटौती भी मासिक भुगतान से की जायेगी।

16. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली टैक्सी साफ–सुथरी एवं अच्छी हालत में होनी चाहिए तथा ए.सी. सुचारू रूप से कार्यशील होना चाहिए। ए.सी. खराब होने की दशा में इसकी मरम्मत दो दिन के अन्दर किया जाना आवश्यक है अन्यथा ए.सी. कार्य नहीं करने की दशा में रू. 200/– (रू. दौ सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी।

17. एजेन्सी द्वारा नियमानुसार टैक्सी का पंजीयन नवीनीकरण शुल्क, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अपने खर्चें पर कराना होगा। टैक्सी के दुर्घटनाग्रस्त होने, चोरी होने, क्षतिग्रस्त आदि होने की स्थिति में ट्रैवल एजेन्सी द्वारा बीमा कम्पनी से दावा, मरम्मत का क्लेम या अन्य दायित्वों का निर्वहन स्वयं किया जायेगा। सी.ई.जी. इसके लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

18. एजेन्सी को यह सुनिचिशत करना होगा कि टैक्सी एवं ड्राईवर में सामान्यतः कोई बदलाव न हो परन्तु परिस्थिति विशेष के कारण यदि पूर्व तैनात वाहन चालक के स्थान पर अन्य वाहन चालक की तैनाती की जाती है, तो इसकी सूचना सभी सम्बन्धित तथा सी.ई.जी. कार्यालय को तत्काल दिया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व से उपलब्ध वाहन के स्थान पर विशेष परिस्थितिवश अन्य टैक्सी/वाहन उपलब्ध कराये जाने की दशा में बिन्दु सं0 10 के अनुसार सभी आवश्यक प्रपत्रों की छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

19. अनुबन्ध की अवधि में पेट्रोल/डीजल की दर में बढ़ोत्तरी होने की दशा में निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई दर में कोई बदलाव नहीं होगा और अनुबन्ध की दर एवं शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

20. चालक का व्यवहार सी.ई.जी. के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जन सामान्य के साथ सभ्य एवं शालीनतापूर्ण होना चाहिए। चालक द्वारा दुर्व्यवहार मर्यादा का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में एजेन्सी पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है तथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। अनुबन्ध निरस्तीकरण के कारण सी.ई.जी. को होने वाली किसी प्रत्यक्ष क्षति के लिये फर्म उत्तरदायी होगी।

21. ट्रैवल एजेन्सी द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक पिछले माह की अवधि हेतु बीजक, लॉगबुक की मूलप्रति सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका भुगतान सी.ई.जी. द्वारा आय–व्ययक में बजट उपलब्ध होने पर प्रभावी टी.डी.एस. की कटौती के उपरान्त 15 दिन के अन्दर किया जायेगा। फर्म को किये जाने वाले भुगतान से नियमानुसार शासकीय कर देयता, क्षतिपूर्ति एवं पेनाल्टी आदि की कटौती यदि कोई है, की जायेगी।

22. निविदादाता फर्म द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार किये जाने के बाद अनुबन्ध नहीं किये जाने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

23. ट्रैवल एजेन्सी द्वारा निविदा में उल्लिखित शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर सी.ई.जी. को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त कर सकता है, जिसके लिये फर्म किसी क्षतिपूर्ति की हकदार नहीं होगी।

24. प्राप्त निविदाओं में किसी निविदा या सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सी.ई.जी. का होगा।

25. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

सुरेन्द्र विक्रम
राज्य समन्वयक

निविदादाता फर्म द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने निविदा की सभी शर्तों को भली–भाँति पढ़ लिया है/समझ लिया है तथा उससे पूर्ण रूपेण सहमत हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा निविदा में दी गयी सूचना (दर को छोड़कर) उपलब्ध दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों एवं जानकारी के आधार पर प्रस्तुत की गयी है जो सत्य एवं तथ्यपरक है। यदि निविदा में दी गयी सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है, तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जाए एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाए जिसके लिए मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान........................ हस्ताक्षर..

दिनांक...................... निविदादाता, फर्म का नाम........................

एवं पता..

(फर्म की मोहर)

तकनीकी निविदा फार्म

(सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना है)

1.	फर्म का नाम	:	
2.	फर्म का पता	:	
3.	मोबाइल नं0 / टेलीफोन नं0	:	
4.	संस्था का रजिस्ट्रेशन	:	प्रोप्राइटर / साझेदारी / कम्पनी
5.	रजिस्ट्रेशन सं0 एवं वैघता	:	
6.	पैन संख्या	:	
7.	सर्विस टैक्स पंजीयन सं0	:	
8.	एजेन्सी द्वारा अन्य विभागों में उपलब्ध करायी जा रही टैक्सी से सम्बन्धित विवरण।	:	
9.	निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 1500 / – प्रस्तुत करने का विवरण	:	बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / पे–आर्डर सं0–.................. दिनांक....... / .... / .... बैंक का नाम... ....
10.	धरोहर धनराशि रू0 15000 / – प्रस्तुत करने का विवरण	:	बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / पे–आर्डर सं0–.................. दिनांक....... / .... / .... बैंक का नाम... ....
11.	प्रस्तावित टैक्सी का मेक मॉडल एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर (होण्डा अमेज / इण्डिगो के नवीनतम मॉडल उल्लेख करें)	:	

नोटः–

1. क्रम संख्या 5,6,7 के सम्बन्ध में स्वतः प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
2. क्रम संख्या 8 के सम्बन्ध में विभाग का संतोष जनक प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर

प्रोप्राइटर / पार्टनर / निदेशक

फर्म का नाम, पता..

....

(फर्म की सील)

वित्तीय भाव पत्र

प्रारूप–I

(सील बन्द लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना है)

I- टैक्सी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित दर–

क्र. सं.	गाड़ी का मेक/ मॉडल	प्रति माह अधिकतम दूरी किमी0	मासिक किराया रू0	सर्विस टैक्स की दर प्रतिशत	सर्विस टैक्स की धनराशि रू0	कुल किराया रू0
1	2	3	4	5	6	7
1.	TATA Indigo, Honda Amaze or Equivalent Model A.C. Taxi	2000				
		2500				
		3000				

II- रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक टैक्सी उपयोग करने हेतु नाइट चार्जेज की दर–

क्र.सं0	गाड़ी का मेक/ मॉडल	रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे हेतु प्रति रात्रि दर रू0	सर्विस टैक्स की दर प्रतिशत	सर्विस टैक्स की धनराशि रू0	कुल किराया रू0
1	2	3	4	5	6
1.	TATA Indigo, Honda Amaze or Equivalent Model A.C. Taxi				

III- निविदा में दी गयी दूरी (किमी0) से अधिक वाहन चालन की दर रू0...................... प्रति किमी0

IV- वाह्य स्टेशन यात्रा हेतु दरः–

(अ) टाटा इण्डिगो, होण्डा अमेज या समकक्ष ए.सी. वाहन रू0...................... प्रति किमी0

(ब) इनोवा या समकक्ष ए.सी. वाहन रू0...................... प्रति किमी0

(स) रात्रि चार्ज (रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे की अवधि हेतु)

– टाटा इण्डिगो, होण्डा अमेज या समकक्ष ए.सी. वाहन हेतु रू0...................... प्रति रात्रि

– इनोवा या समकक्ष ए.सी. वाहन हेतु रू0...................... प्रति रात्रि

नोटः- **L- 1** का निर्णय उपरोक्त बिन्दु–**I** में दी गयी दर + बिन्दु–**II** में दी गयी 10 रात्रि चार्जेज की दर + बिन्दु–**III** में 500 अतिरिक्त किमी0 हेतु दी गयी दर के समेकित मूल्य–आगणन पर किया जायेगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर

फर्म का नाम, पता

(फर्म की सील)

<u>निविदा की शर्तें</u>

1. निविदा का तकनीकी एवं वित्तीय भाव पत्र अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द कर एक अन्य लिफाफे में रख कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तकनीकी एवं वित्तीय भाव पत्र लिफाफा पर निविदा सूचना सं0/दिनांक तथा निविदा खोले जाने की तिथि अंकित किया जाना अनिवार्य है। तकनीकी एवं वित्तीय भाव पत्र एक साथ एक ही लिफाफा में पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. तकनीकी भाव पत्र में वांछित सूचनाऐं, अभिलेख आदि निविदा के अनुसार योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय भाव पत्र खोला जायेगा।
3. यह निविदा सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 में एक वर्ष के लिये इन्डिगो, होण्डा अमेज अथवा समकक्ष मॉडल की लगभग 04 (चार) ए.सी. टैक्सी मासिक दर के आधार पर आपूर्ति/चालन के लिये है। टैक्सी की संख्या को बिना कारण बताये बढाने या घटाने का अधिकार सी.ई.जी. को होगा।
4. ट्रैवेल एजेन्सी मान्यता प्राप्त होनी चाहिये तथा टूर एवं ट्रैवल व्यवसाय में, राजकीय निगम/विभाग, कारपोरेट सेक्टर में टैक्सी उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। सर्विस टैक्स, इन्कम टैक्स में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
5. <u>उपलब्ध करायी जाने वाली टैक्सी का आर0टी0ओ0, लखनऊ से कामर्शियल टैक्सी का परमिट होना अनिवार्य है।</u> ट्रैवेल एजेन्सी द्वारा टैक्सी परिवहन सम्बन्धी विद्यमान नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. इन्डिगो और होण्डा अमेज अथवा समकक्ष मॉडल की टैक्सी का निर्माण वर्ष जनवरी, 2014 के बाद का होना चाहिए और टैक्सी तकनीकी एवं भौतिक रूप से अच्छी दशा में तथा कार्यालय उपयोगार्थ सुसज्जित होनी चाहिए।
7. निविदा में टैक्सी–चालन हेतु अधिकतम किमी0 स्लैब में दर आमंत्रित की गयी है। सी.ई.जी. को यह अधिकार होगा कि वह स्लैब में प्राप्त दर में से किसी एक या सभी दर को स्वीकार कर ले तथा ट्रैवल एजेन्सी को तद्नुसार अनुबन्ध करना होगा।
8. निविदादाता फर्म को रू0 15,000/– की अर्नेस्ट मनी (EMD) बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा पे–आर्डर, जो सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अर्नेस्ट मनी (धरोहर राशि) संलग्न नहीं पाये जाने पर निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. सफल निविदादाता के पक्ष में कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर निविदादाता फर्म को निविदा में प्रस्तुत दर के अनुसार देय अनुमानित वार्षिक धनराशि के 05 प्रतिशत मूल्य की जमानत धनराशि (Performance Security) प्रस्तुत करनी होगी, जो राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक द्वारा सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 के पक्ष में बैंक गारन्टी, सावधि जमा पत्र के रूप में निर्गत होनी चाहिए। जमानत धनराशि (Performance Security) प्रस्तुत करते समय फर्म द्वारा अनुबन्ध निष्पादन हेतु रू. 100.00 (एक सौ) का नान्–जुडीशियल स्टाम्प पेपर भी प्रस्तुत किया जायेगा।
10. अनुबन्ध<u> निष्पादन के पूर्व फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली टैक्सी से सम्बन्धित वैध–पंजीयन प्रमाण पत्र (टैक्सी के रूप में पंजीयन), बीमा प्रमाण पत्र, वाहन फिटनेश प्रमाण पत्र एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।</u> अनुबन्ध के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन सम्बन्धी उपरोक्त वैध प्रपत्र की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में फर्म को निर्गत कार्यादेश

निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि अथवा जमानत राशि, जैसा भी लागू हो, जब्त कर ली जायेगी। अनुबन्धित टैक्सी से सम्बन्धित उपरोक्त प्रपत्र वाहन चालक के पास सदैव उपलब्ध होना चाहिए जिससे वह आवश्यकतानुसार प्रवर्तन अधिकारियों या चेकिंग स्टाफ को उपलब्ध करा सके।

11. टैक्सी एक माह में अधिकतम निर्धारित किमी0 तक चलानी होगी। टैक्सी–चालन हेतु योग्य चालक की सेवाएं भी ट्रेवल एजेन्सी द्वारा प्रदान की जायेगी। यदि टैक्सी एक माह में निर्धारित कि0मी0 से अधिक चलती है, तो अतिरिक्त किमी0 का भुगतान प्रति किमी0 की दर से किया जायेगा।

12. चालक का वेतन, टैक्सी–चालन हेतु ईंधन, मरम्मत/सर्विसिंग, बीमा एवं अन्य सभी प्रकार के Incidental Charges का व्यय एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि में टैक्सी को पूर्णतः चालू हालत एवं अच्छी दशा में बनाये रखने (Maintain करने) का दायित्व ट्रेवल एजेन्सी का होगा।

13. चालक को मोबाइल की सुविधा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करानी होगी, जिसका व्यय एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। टैक्सी पर तैनात किये जाने वाले चालक के नाम वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो टैक्सी चालन के समय चालक के पास होना अनिवार्य है। चालक को ट्रैफिक नियमों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पूर्णतया अनुपालन करने एवं लॉगबुक सदैव रखने, यात्रा दूरी आदि का उल्लेख करने का स्पष्ट निर्देश ट्रैवल एजेन्सी द्वारा चालक को दिया जायेगा।

14. Fuel, Lubricant & Car Perfume एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा। टोल टैक्स, पार्किंग चार्जेज की प्रतिपूर्ति, बिल/पर्चा उपलब्ध कराने पर किया जायेगा।

15. टैक्सी खराब होने की दशा में ट्रैवल एजेन्सी को दूसरी टैक्सी तुरन्त उपलब्ध करानी होगा। यदि किन्ही कारणवश टैक्सी तुरन्त उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो सी.ई.जी. द्वारा अन्यत्र से टैक्सी की व्यवस्था कर ली जायेगी, जिसका पूरा खर्चा एजेन्सी को वहन करना होगा तथा जिसकी कटौती उनके देयकों से की जायेगी। इसके अलावा टैक्सी की अनुपलब्धता की दशा में अनुपलब्धता के दिनों के व्यवधान के लिये रू. 2000/– (रू0 दो हजार मात्र) प्रतिदिन की कटौती भी मासिक भुगतान से की जायेगी।

16. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली टैक्सी साफ–सुथरी एवं अच्छी हालत में होनी चाहिए तथा ए.सी. सुचारू रूप से कार्यशील होना चाहिए। ए.सी. खराब होने की दशा में इसकी मरम्मत दो दिन के अन्दर किया जाना आवश्यक है अन्यथा ए.सी. कार्य नहीं करने की दशा में रू. 200/– (रू. दौ सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी।

17. एजेन्सी द्वारा नियमानुसार टैक्सी का पंजीयन नवीनीकरण शुल्क, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अपने खर्चे पर कराना होगा। टैक्सी के दुर्घटनाग्रस्त होने, चोरी होने, क्षतिग्रस्त आदि होने की स्थिति में ट्रैवल एजेन्सी द्वारा बीमा कम्पनी से दावा, मरम्मत का क्लेम या अन्य दायित्वों का निर्वहन स्वयं किया जायेगा। सी.ई.जी. इसके लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

18. एजेन्सी को यह सुनिचिशत करना होगा कि टैक्सी एवं ड्राईवर में सामान्यतः कोई बदलाव न हो परन्तु परिस्थिति विशेष के कारण यदि पूर्व तैनात वाहन चालक के स्थान पर अन्य वाहन चालक की तैनाती की जाती है, तो इसकी सूचना सभी सम्बन्धित तथा सी.ई.जी. कार्यालय को तत्काल दिया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व से उपलब्ध वाहन के स्थान पर विशेष परिस्थितिवश अन्य टैक्सी/वाहन उपलब्ध कराये

जाने की दशा में बिन्दु सं0 10 के अनुसार सभी आवश्यक प्रपत्रों की छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

19. अनुबन्ध की अवधि में पेट्रोल/डीजल की दर में बढ़ोत्तरी होने की दशा में निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई दर में कोई बदलाव नहीं होगा और अनुबन्ध की दर एवं शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

20. चालक का व्यवहार सी.ई.जी. के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जन सामान्य के साथ सभ्य एवं शालीनतापूर्ण होना चाहिए। चालक द्वारा दुर्व्यवहार मर्यादा का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में एजेन्सी पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है तथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। अनुबन्ध निरस्तीकरण के कारण सी.ई.जी. को होने वाली किसी प्रत्यक्ष क्षति के लिये फर्म उत्तरदायी होगी।

21. ट्रैवल एजेन्सी द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक पिछले माह की अवधि हेतु बीजक, लॉगबुक की मूलप्रति सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका भुगतान सी.ई.जी. द्वारा आय–व्ययक में बजट उपलब्ध होने पर प्रभावी टी.डी.एस. की कटौती के उपरान्त 15 दिन के अन्दर किया जायेगा। फर्म को किये जाने वाले भुगतान से नियमानुसार शासकीय कर देयता, क्षतिपूर्ति एवं पेनाल्टी आदि की कटौती यदि कोई है, की जायेगी।

22. निविदादाता फर्म द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार किये जाने के बाद अनुबन्ध नहीं किये जाने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

23. ट्रैवल एजेन्सी द्वारा निविदा में उल्लिखित शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर सी.ई.जी. को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त कर सकता है, जिसके लिये फर्म किसी क्षतिपूर्ति की हकदार नहीं होगी।

24. प्राप्त निविदाओं में किसी निविदा या सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सी.ई.जी. का होगा।

25. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

सुरेन्द्र विक्रम
राज्य समन्वयक

<u>निविदादाता फर्म द्वारा की जाने वाली घोषणा</u>

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने निविदा की सभी शर्तों को भली–भाँति पढ़ लिया है/समझ लिया है तथा उससे पूर्ण रूपेण सहमत हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा निविदा में दी गयी सूचना (दर को छोड़कर) उपलब्ध दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों एवं जानकारी के आधार पर प्रस्तुत की गयी है जो सत्य एवं तथ्यपरक है। यदि निविदा में दी गयी सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है, तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जाए एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाए जिसके लिए मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.......................... हस्ताक्षर...
दिनांक........................ निविदादाता, फर्म का नाम.........................
एवं पता...
(फर्म की मोहर)